MOST-URGENT
OUT – TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/23064 दिनांक 26 मई, 2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

भीलवाडा जिले में उपखण्ड़ क्षेत्र भीलवाड़ा के ग्राम आरजिया मे नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर कार्यालय के आदेश क्रमांक 23022 दिनांक 22 मई 2020 से **दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत** उपखण्ड़ क्षेत्र भीलवाड़ा के ग्राम आरजिया की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में सख्त निषेधाज्ञा लागु की है।

उक्त लागू निषेधाज्ञा के अग्रसरण में तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त पत्र के क्रम में उपखण्ड़ क्षेत्र भीलवाड़ा के ग्राम आरजिया में निवासरत जनसाधारण को संभावित किसी असुविधा के निवारण के प्रयोजन से **मैं राजेन्द्र भट्ट, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उपखण्ड़ क्षेत्र भीलवाड़ा में स्थित ग्राम आरजिया की **सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में** लागू **सख्त निषेधाज्ञा को** तत्काल प्रभाव से **प्रत्याहरित कर** उपखण्ड़ क्षेत्र भीलवाड़ा में स्थित ग्राम आरजिया के मजरा कीरखेड़ा की सीमा क्षेत्र **को** Zero Mobility & Containment Area **(लॉकिंग एरिया–जनसाधारण का सख्ती से आगमन–निर्गमन निषेध क्षेत्र) घोषित करता हूं।**

यह आदेश आज दिनांक 26 मई 2020 को सांय 5.00 बजे से मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया हैं।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर
03. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
08. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
10. उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करावें साथ ही स्थानीय स्तर पर सर्व संबंधित विभागों/संस्थाओं आदि से समन्वय स्थापित कर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें एवं सामग्री का उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में निवासरत परिवारों को मौके पर ही उपलब्धता बाबत् आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
11. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में समुचित प्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित करें।
13. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
14. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा